अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या–213/2012

ललिता कुमारी ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य एवं अन्य .....विपक्षीगण

प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 आंगनबाड़ी वाद संख्या 3/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि थाना सुखासन प्रखंड किशनपुर जिला सुपौल आंगनबाड़ी वाद संख्या 3/12 द्वारा समर्पित साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि उनका चयन विभागीय निर्देशिका 2006 के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 58 पर संविका के चयन के विरूद्ध श्रीमति खुशबू कुमारी पति चन्द्र किशोर यादव द्वारा आवेदन पत्र दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी का प्राप्तांक काफी कम है। ललिता देवी चयनित सेविका पंचायत समिति की पत्नी होने के बाबजूद गलत ढ़ंग से परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और अपने ससुराल में ही रह रही है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर द्वारा ललिता कुमारी को मूल प्रमाण–पत्र उपस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा अपने पत्रांक 134 दिनांक 09.04.2012 द्वारा श्रीमति ललिता कुमारी के ससुराल में रहने संबंधी जाँच प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में प्राप्त बतलाया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि स्थानीय व्यक्तियों से जानकारी एवं लिखित बयानों के अनुसार श्रीमति ललिता कुमारी ससुराल में रहती है। बयानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ललिता कुमारी अपने पति इन्द्रभूषण यादव एवं पूरे परिवार के साथ ग्राम–श्रीपुर में आवासन करती हैं। प्रतिवेदन के साथ ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–10 के क्र0–179 पर श्रीमति ललिता देवी अंकित बतलाया गया है, जिसमें पति इन्द्रभूषण यादव पिता रामेश्वर यादव गृह संख्या 26 में रहते हैं बतलाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वास्तव में चयनित सेविका ललिता कुमारी विवाहित हैं तथा अभी तक पति श्री इन्द्रभूषण यादव के साथ निवास करती हैं। इस संबंध में ललिता कुमारी द्वारा बार–बार मौका दिए जाने के बाबजूद अपना शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 17.01.2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर के हस्ताक्षर से प्रकाशित मेधा सूची में विधवा/परित्यक्ता के प्रमाण–पत्र के कारण ललिता कुमारी को 07 अतिरिक्त बोनस अंक

दिया गया है जिसके उपरान्त इनका चयन आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 58 के सेविका पद पर दिनांक 21.02.2012 को आयोजित आम सभा में किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ललिता कुमारी द्वारा आवेदन में परित्यक्ता संबंधी सूचना गलत अंकित कर एवं श्रीमति श्यामादेवी मुखिया ग्राम पंचायत सुखासन के साथ आपसी मिलीभगत से गलत परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेविका के पद पर चयनित होकर कार्य करने का प्रयास किया है।

आवेदिका द्वारा समर्पित अपने शपथ पत्र में यह कहा गया है कि मेरी शादी 8-9 वर्ष पूर्व श्री इन्द्रभूषण यादव के साथ हुई थी। मैं अपने ससुराल श्रीपुर सुखासन, थाना किशनपुर, जिला सुपौल के यहाँ रहती थी। कुछ समय से आपसी विवाद के फलस्वरूप दोनों आदमी का एक साथ रहना मुश्किल हो गया वो मेरे पिताजी कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मामला का निपटारा करा लिया। तय यह हुआ कि मैं अब उनकी पत्नी नहीं रही। वह स्वतंत्र है और मैं भी स्वतंत्र रहुँगी। जीविका के लिए जमीन का वाजिब हिस्सा मुझे दिया जाएगा जो दे दिया गया। इस प्रकार मैं गत 8-9 साल से इनकी पत्नी नहीं रही और स्वतंत्र जीवन बिता रही हुँ। मैं उस परिवार की सदस्या भी नहीं हुँ।

रेस्पोण्डेन्ट संख्या 6 को छोड़कर अन्य रेस्पोण्डेन्ट संख्या 7 से 15 हाजिर नहीं हुई।

रेस्पोण्डेन्ट संख्या 6 के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा वाद संख्या 3/12 में पारित आदेश बिल्कुल सही वो न्यायोचित है वो ललिता देवी द्वारा प्राप्तांक दावा किए गए प्राप्तांक से काफी कम बतलाते हैं वो गलत परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है जबकि वे ससुराल में ही अपने पति के पास रहती हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि उक्त आरोपों की गंभीरता के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर ने स्वयं जाँचकर प्रतिवेदन समर्पित करने एवं ललिता देवी को मूल प्रमाण पत्र उपस्थापित करने का निर्देश दिया था। आगे यह भी कथन करते हैं कि पत्रांक 134 दिनांक 09.04.2012 द्वारा श्रीमति ललिता देवी के ससुराल में ही रहती हैं। जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि स्थानीय व्यक्तियों से भी जानकारी एवं लिखित स्थानों के आधार पर श्रीमति ललिता देवी ससुराल में ही रहती हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 के क्रमांक 179 पर श्रीमति ललिता देवी पति इंद्रभूषण यादव तथा गृह संख्या 26 अंकित है। आगे यह भी कथन करते हैं कि सेविका ललिता देवी विवाहित हैं तथा अपने पति के पास रहती बतलाते हैं कि सेविका ललिता देवी को बार-बार मौका दिए जाने के बाद भी ललिता देवी स्वयं उपस्थित नहीं हुई और न ही मूल प्रमाण-पत्र नहीं दिखायी।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया, इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का चयन आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-58 में सेविका के पद पर किशनपुर प्रखंड के सुखासन पंचायत में आम सभा से किया गया और चयन के लिए कुल 12 आवेदिका थीं। जिनमें सबसे अत्यधिक अंक अपीलार्थी को था और अपीलार्थी का चयन सर्वसम्मति से हुआ। जिसके खिलाफ खुशबु कुमारी ने एक आवेदन जिला पदाधिकारी, सुपौल के यहाँ दिया, जिसका आँगनबाड़ी वाद संख्या-3/12 कायम हुआ। जिसमें यह कहा गया कि आवेदिका परित्यक्ता नहीं हैं, जिस वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में मुखिया का प्रमाण पत्र दाखिल किया गया कि वह परित्यक्ता के रूप में जीवन यापन कर रही हैं और अपने पति से वे अलग रहती हैं। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जाँच के लिए भेजा गया और बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी ने महिला पर्यवेक्षिका से जाँच कराया। उक्त जाँच प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि महिला पर्यवेक्षिका ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अपीलार्थी पति से अलग रहती हैं एवं परित्यक्ता हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किसनपुर के द्वारा अपने पत्रांक 134 दिनांक-09.04.2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि स्थानीय लोगों से अपीलार्थी के ससुराल में रहने की जाँच की गई जिनका लिखित ब्यान 19 व्यक्तियों का लिया गया, जिसमें छः व्यक्तियों ने अपीलार्थी के लिए ससुराल में पति के साथ रहने की बात बतायी एवं 13 व्यक्तियों ने पति से अलग रहने की बात बतायी। जिसके आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इसके ससुराल में रहने की बात कही गई। लेकिन इस बात को नजर अंदाज कर दिया गया कि 13 व्यक्तियों ने उसे पति से अलग रहने की बात कही है, जिससे परित्यक्ता होने का प्रमाण माना जा सकता है, साथ ही मुखिया का प्रमाण-पत्र एवं अपीलार्थी का अपना शपथ पत्र भी दाखिल है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी परित्यक्ता थीं और अपने पति के ऊपर व्यावहार न्यायालय में अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए हिस्से की भी मांगे पति से की है, जिसका मुकदमा नं0 246/12 अवर न्यायाधीश, सुपौल के न्यायालय में लंबित है।

अभिलेख के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि मार्गदर्शिका में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि परित्यक्ता संबंधी प्रमाण-पत्र मार्गदर्शिका के प्रपत्र-'ख' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य/मुखिया द्वारा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा दिनांक 05.04.2011 को निर्गत प्रमाण-पत्र के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि श्रीमति ललिता कुमारी, पिता-रघुनंदन यादव परित्यक्ता महिला के रूप में जीवन यापन कर रही हैं एवं अपने पति के साथ विगत दो वर्षों से कोई संबंध नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि सक्षम न्यायालय में परित्यक्ता प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया गया है। अतः परित्यक्ता संबंधी प्रमाण-पत्र वैद्य है। ऐसी परिस्थिति में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन जो स्थानीय लोगों से पुछ-ताछ के आधार पर है एवं पति से अलग रहने की बात को इस आधार पर नजरअंदाल कर दिया गया कि वह ससुराल में ही रह रही है। अतः जबतक सक्षम प्राधिकार द्वारा परित्यक्ता प्रमाण-पत्र को खारिज नहीं कर दिया जाता है तो उन्हें परित्यक्ता नहीं मानने का कोई आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से सक्षम प्राधिकार ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा मार्गदर्शिका के आधार पर निर्गत प्रमाण-पत्र वैद्य होने की स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा चयन मुक्ति आदेश को वैद्य ठहराना उचित नहीं है। अतः जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा दिनांक 24.05.2012 को पारित आदेश एतद् द्वारा रद्द किया जाता है एवं अपीलवाद स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी उक्त परित्यक्ता प्रमाण-पत्र के वैद्यता के संबंध में सक्षम प्राधिकार के पास विचारण हेतु स्वतंत्र है। इसके साथ अपीलवाद मामले को निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा